।। कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर ।।

क्रमांक : स्था./उ.म.नि./प्रहरी भर्ती–2018/255/2018–19/4493-4500 दिनांक :– 10/9/19

–::आदेश ::–

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम– 1998 के नियम 32 के अन्तर्गत प्रहरी भर्ती परीक्षा–2018 में भरतपुर मण्ड़ल हेतु गठित चयन समिति द्वारा प्रतीक्षा सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थी को प्रहरी पद पर चयन किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित शर्तों के अधीन राजस्थान कारागार विभाग में दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए भरतपुर मण्डल में अस्थाई रूप से प्रहरी पद पर नियुक्त किया जाता है।

नव नियुक्त अभ्यर्थी दिनांक 11.09.2019 को प्रातः 10.00 बजे कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार रेन्ज, जयपुर (महानिदेशालय कारागार, घाटगेट, जयपुर परिसर स्थित कार्यालय में) पर आवश्यक रूप से उपस्थित देगें तथा साथ ही ज्वाईनिंग निर्देशों में वर्णित शपथ पत्र सलंग्न प्रपत्र अनुसार तैयार करवाकर एवं 8 फोटो (जो कि मेडीकल के समय प्रस्तुत की गई थी), आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक आवश्यक रूप से साथ लेकर आऐंगे।

क्र. सं.	रोल नं.	नाम आशार्थी मय पिता का नाम	मैरिट क्रमांक	जाति श्रेणी	चयन श्रेणी	जन्म तिथि	वेतन आहरण कार्यालय
1.	20010203000009	सुनील कुमार पुत्र श्री मोहन लाल	UR-MALE	ओ.बी.सी.	सामान्य पुरूष	20.04.1993	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर
2.	20010205003237	सुरेश कुमार गोदारा पुत्र श्री महेन्द्र सिंह	Ex-man	ओ.बी.सी.	भूतपूर्व सैनिक	10.01.1976	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर

1. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.15(1)एफ–डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानों के तहत रूपये 12800/– प्रतिमाह की दर से नियमित पारिश्रमिक देय होगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही प्रहरी पद का पे मेट्रिक्स के लेवल–L-3 में न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जायेगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
2. पूर्व से ही नियोजित अभ्यर्थी वित विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधान के अन्तर्गत पूर्व में आहरित वेतन का विकल्प प्रस्तुत कर सकते है।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की कालावधि में किसी प्रकार के अन्य भत्ते अनुज्ञात नहीं होगें एवं राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि आदि की कटौती नियमानुसार नहीं होगी।
4. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के प्रावधान के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने के उपरान्त भी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी।

5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा । कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलैण्ड़र वर्ष में कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश देय होगा।

6. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियमानुसार पद पर स्थाईकरण किया जावेगा। प्रशिक्षण एवं स्थाईकरण के संबंध में प्रचलित नियम, परिपत्र इत्यादि लागू होंगे।

7. वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि नें नियत पारिश्रमिक से न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) में अंशदान की नियमानुसार कटौती होगी।

8. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार मेडीक्लेम इंशोरेन्स योजना प्रभावी होगी ।

9. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डी.ओ.पी./ए–II/95 दिनांक 08.04.2006 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के संबंध में कार्य ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों की संख्या दो से अधिक होगी तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

10. अभ्यर्थी को राजस्थान दहेज प्रतिशोध अधिनियम, 2004 के अनुसार विवाहित होने पर उपस्थिति देने के समय तथा अविवाहित होने पर विवाह के पश्चात निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है।

11. अभ्यर्थी को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.13 की पालना में धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता (UNDERTAKING) देनी होगी।

12. आशार्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति से एक वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहेंगें, अन्य पद ग्रहण करना चाहेंगें तो ऐसा करने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त समस्त वेतन एवं भत्ते व उनके प्रशिक्षण पर हुये व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करानी होंगीं। अभ्यर्थी को इस संबंध में विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करना होगा।

13. यह नियुक्ति राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों, आदेशों व शर्तो के अध्यधीन है।

14. प्रशिक्षण के लिये कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर पर उपस्थित होते समय चयनित अभ्यर्थी मैस फण्ड राशि जमा करवाने हेतु प्रतिमाह लगभग 3000 रूपये स्वयं के साथ लेकर जावें व निजी उपयोग के वस्त्र, रोजमर्रा में काम आने वाले सामान एवं बिस्तर आदि साथ लेकर आयें।

15. दिनांक 13.09.2019 तक उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने का निर्णय लेने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा, जिससे सूचित रहें।

16. अभ्यर्थियों को कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज जयपुर पर उपस्थिति देने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

sd/-

(विकास कुमार)
उप महानिरीक्षक कारागार
रेंज, जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप–12) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
4. अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर।
5. उपाधीक्षक प्रशिक्षण शाखा, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
6. श्री...

   ....को ज्वाईनिंग निर्देशों छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि बंध पत्र (पचास रूपये के स्टाम्प पर), दहेज न लेने के संबंध में, धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने एवं संतानों के संबंध में शपथ–पत्र, सलंग्न प्रपत्र अनुसार, आधार कार्ड (मूल), पेन कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति, दसवीं की अंकतालिका की प्रमाणित छायाप्रति एवं मेडीकल के समय प्रस्तुत फोटो 8 प्रति में आवश्यक रूप लेकर निर्धारित तिथि को यथा समय पर अपनी उपस्थिति कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज, जयपुर (महानिदेशालय कारागार, घाटगेट, जयपुर परिसर स्थित कार्यालय में) पर दिनांक 11.09.2019 को आवश्यक रूप से देवें। (ज्वाइनिंग निर्देश एवं शपथ–पत्रों के प्रारूप संलग्न है)
7. संबंधित की निजी पत्रावली /रक्षक पत्रावली।
8. कम्पयूटर शाखा, मुख्यालय कारागार, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

(विकास कुमार)
उप महानिरीक्षक कारागार
रेंज, जयपुर

हस्ताक्षर शपथकर्ता/शपथकर्ती

संतानों की संख्या के संबंध में शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी .... सशपथ बयान करता/करती हूँ कि

1. यह कि मेरे दिनांक 01/06/2002 से पूर्व संतानों की संख्या .... है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	सन्तान का नाम	सम्बन्ध	जन्म तिथि

2. यह है कि दिनाक 01.06.2002 के पश्चात सन्तानों की संख्या .... है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	सन्तान का नाम	सम्बन्ध	जन्म तिथि

हस्ताक्षर शपथकर्ता/शपथकर्ती

विवाह के समय दहेज न लेने व भविष्य में नहीं लेने के संबंध में शपथ पत्र

मैं .... पुत्र ...., निवासी .... सशपथ बयान करता हूँ कि "मेरा विवाह श्रीमति .... पुत्री श्री .... से दिनांक .... को हुआ था। विवाह में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया है।"

अथवा

मैं .... पुत्र ...., निवासी .... सशपथ बयान करता हूँ कि "मैं अभी अविवाहित हूँ तथा भविष्य में होने वाले विवाह में किसी प्रकार का दहेज नहीं लूगां।"

हस्ताक्षर शपथकर्ता

अनुबंध बंध का प्रपत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु ....वर्ष ...., जाति .... निवासी .... शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरा प्रहरी पद पर परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर के आदेश क्रमांक .... दिनांक के आदेशानुसार चयन हुआ है।

मेरा प्रहरी पद पर उपस्थिति दिनांक से दो वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहूँगा/चाहूँगी तो ऐसा करने से पूर्व मुझे प्रशिक्षण अवधि में मेरे द्वारा प्राप्त समस्त वेतन व भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुए व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करवा दूँगा/दूँगी ।

स्थान :

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं उपरोक्त बन्ध पत्र निष्पादनकर्त्ता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त बन्ध पत्र की समस्त बातें मेरी निजी जानकारी में सही व सत्य हैं

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित

श्री/सुश्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु .... वर्ष, जाति .... निवासी .... को अनुप्रमाणित करता हूँ।

हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक

धूम्रपान व गुटखा सेवन नहीं करने का शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी ...., निवासी .... सशपथ बयान करता/करती हूँ कि "मैं धूम्रपान एवं गुटखा का सेवन नहीं करता/करती हूँ। भविष्य में भी मैं धूम्रपान एवं गुटखा आदि का सेवन नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांक :